

हिमाचल प्रदेश  
जलशक्ति विभाग  
निविदा

अधिशायी अभियन्ता, जलशक्ति विभाग मण्डल, नालागढ द्वारा उपायुक्त जिला सोलन के कार्यालय आदेश संख्या SLN/NZR/8-80/2000-108804 dated 30 March, 2017 के अनुरूप एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित प्रकार के (Taxi) वाहन को माह 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक किराये पर लेने हेतु निर्धारित / दिशायें गये नियम एवं शर्तों के अनुरूप दिनांक 25 जून 2019 समय सुबह 11:00 बजे तक निविदायें आमत्रित की जाती हैं, जिसके लिए किसी भी कार्य दिवस पर नगद भुगतान द्वारा टैण्डर फार्म दिनांक 24 जून 2020 समय सांय 4:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गये प्रपत्र / निविदाएँ 25 जून 2020 समय सुबह 11:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे, जो कि उसी दिन समय सुबह 11:30 बजे निविदाएँ खोली जाएंगी।

**नोट:-** धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधिशायी अभियन्ता, जलशक्ति विभाग मण्डल, नालागढ के नाम जारी एवं रेहन होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा तुरन्त प्रभाव में रद्द कर दी जायेगी।

क्रमांक	गाडी का प्रकार	धरोहर राशि	टैण्डर फार्म की कीमत	किराये पर Taxi की समय अवधि
1	ब्लेरो अथवा स्कोरपियो।	Rs. 10,000/-	रुपये 250/-	01-07-2020 से 30-06-2021 तक

**नियम एवं निर्धारित शर्तें:-**

- 1 वाहन की स्थिति (कंडीशन) ठीक होनी चाहिए ड्राइवर के पास अधिकृत वाहन चलाने का लाईसेंस होना अनिवार्य है, एवं वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 2 जिस व्यक्ति का वाहन किसी भी विभाग में किराये पर लगाया जायेगा उसे सम्बन्धित विभाग से मुबलिंग 10,000/- रुपये प्रतिपूर्ति राशि जमा करवानी होगी।
- 3 मुरम्मत व तेल का खर्चा वाहन मालिक को ही वहन करना होगा।
- 4 सर्विस चार्ज जो सरकार को दिया जाता है के अतिरिक्त, समस्त कर, टोल टैक्स व अन्य टैक्स वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।
- 5 जो वाहन किराये पर लिया जायेगा वह माह में कम से कम 1500 किलोमीटर चलाना होगा( अधिकतम सीमा विभाग निश्चित करेगा) व वर्ष में कम से कम 180 दिन या 18000 किलोमीटर तक चलाना आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त वाहन एक सप्ताह, महीना व छः माह के लिए भी किराये पर लिया जा सकता है।
- 6 वाहन प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक के लिए प्रयोग होगा तथा आपातकाल के समय बदला जा सकता है।
- 7 वाहन मालिक को लाग बुक लगानी होगी तथा प्रतिदिन यात्रा सत्यापित करवानी होगी।
- 8 वाहन के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को अन्य वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा दण्ड शुल्क लगाया जायेगा।
- 9 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर विभाग द्वारा कोई भी मुवावजा नहीं दिया जायेगा इसके लिए वाहन मालिक ही जिम्मेवार होगा।
- 10 वाहन पर किसी भी प्रकार का सरकार से सम्बन्धित Sticker (स्टीकर) इत्यादि नहीं लगाया जायेगा।
- 11 इस अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।
- 12 ओवर टाइम ड्यूटी के घण्टे तथा रात्रि ठहराव के दिन ड्यूटी के अनुसार घट व बढ़ सकते हैं।

अधिशायी अभियन्ता,  
जलशक्ति विभाग मण्डल,  
नालागढ।

**क्रमांक:- जलशक्ति मण्डल -एन0एल0जी0-टैण्डर नोटिस/2020:- 1153-59 दिनांक:- 06-06-2020**

- 1 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 2 प्रमुख अभियन्ता जलशक्ति विभाग हि0प्र0 शिमला-5
- 3 मुख्य अभियन्ता ( शिमला क्षेत्र) जलशक्ति विभाग हि0प्र0 शिमला-5
- 4 अधीक्षण अभियन्ता जलशक्ति विभाग वृत सोलन जिला सोलन।
- 5 समस्त अधिशायी अभियन्ता अधिनस्थ जलशक्ति विभाग वृत सोलन जिला सोलन।
- 6 समस्त सहायक अभियन्ता अधिनस्थ जलशक्ति विभाग मण्डल, नालागढ जिला सोलन।
- 7 सूचना पट्ट।

अधिशायी अभियन्ता,  
जलशक्ति विभाग मण्डल,  
नालागढ।